राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक :– प0 2 (3)गृह–10/2016 जयपुर, दिनांक : 28/9/2020

आदेश

श्री विरेन्द्र धाबाई, अभियोजन अधिकारी (निलम्बित) तत्समय पदस्थापित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहबाद जिला बारां निवासी 12 महाराणा प्रताप कोलोनी, हिरन मगरी सेक्टर नं0 13, उदयपुर जिला उदयपुर (राज0) दिनांक 23.05.2017 से बिना किसी सूचना के कार्यालय से स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहा है ।

राजस्थान सेवा नियम के नियम, 1951 के नियम 86(4) में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से पद त्याग किया हुआ समझा जायेगा यदि वह स्वीकृत किये गये अवकाश या अनुज्ञा की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष से अधिक से किसी कालावधि के लिए बिना किसी प्राधिकार के अनुपस्थित हो ।

इस प्रकरण में श्री विरेन्द्र धाबाई, अभियोजन अधिकारी (निलम्बित) दिनांक 23.05.2017 से आज दिनांक तक बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित है । उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत यह समझा जायेगा कि (Deemed) श्री विरेन्द्र धाबाई, अभियोजन अधिकारी (निलम्बित) ने स्वेच्छा से पद का त्याग कर दिया है ।

अतः श्री विरेन्द्र धाबाई, अभियोजन अधिकारी (निलम्बित) द्वारा स्वेच्छा से पद त्याग किये जाने के कारण उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

आज्ञा से,

ह0/-

(राजेन्द्र कुमार सैनी)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) गोपनीय प्रकोष्ठ विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3) जांच/शिकायत विभाग।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश श्री विरेन्द्र धाबाई, अभियोजन अधिकारी को डिलीवर करवाकर इस विभाग को अवगत करावें अगर आवश्यकता हो तो नियमानुसार दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करें ।
6. श्री विरेन्द्र धाबाई, अभियोजन अधिकारी द्वारा निदेशक, अभियोजन, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन ।
8. रक्षित / निजी पत्रावली ।

25-9-20

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
एवं संयुक्त विधि परामर्शी